





उनके द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹0 3,11,85,743.00 (₹0 तीन करोड़ ग्यारह लाख पिचासी हजार सात सौ तिरालीस मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें, उसके उपरान्त ही आपके पक्ष में सफल बोलीदाता का घोषणा-पत्र जारी किया जा सकेगा।

विजय इन्टरप्राइजेज (पंजीकरण संख्या – M180102100124640) को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली (यथासंशोधित) 2017 के नियम 28 (क) उपनियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अंतर्गत दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् ₹0 3,11,85,743.00 (₹0 तीन करोड़ ग्यारह लाख पिचासी हजार सात सौ तिरालीस मात्र) निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक में जमा करानी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेतर कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।

आपसे अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली यथासंशोधित 2017 के सुसगंत नियमों एवं जनपद हरिद्वार की तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, कुल क्षेत्रफल 25.585 हैं। उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

निदेशक